भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2794
17 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

पीएमजीकेएवाई में कमी

2794. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के अंतर्गत आवंटन कम कर दिया गया है;
(ख) यदि हां, तो देश भर में उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने लाभार्थी शामिल हैं;
(ग) यदि नहीं, तो उक्त योजना को किस तिथि तक बढ़ाया गया है; और
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत व्यय किए जा रहे धन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने आबंटन में कोई कमी नहीं की है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)/पीएमजीकेएवाई के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्न का आबंटन राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट की गई लाभार्थियों की पहचान के आधार पर और राज्य के पीडीएस पोर्टल पर उपलब्ध लाभार्थियों के डाटा के आधार पर करता है। पीएमजीकेएवाई योजना जो एनएफएसए लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करता है, को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है।

...2/-

(घ): राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पीएमजीकेएवाई के तहत वितरित, खाद्यान्नों की खरीद और वितरण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, अधिशेष राज्यों से कमी वाले राज्यों में खाद्यान्न की आवाजाही पर किए गए व्यय और बफर स्टॉक की रखरखाव लागत पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में एफसीआई को भी निधि जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एफसीआई और विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्यों को जारी की गई खाद्य सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है:

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	एफसीआई	डीसीपी राज्य	कुल
2022-23	200219.20	72282.50	272501.70
2023-24	139661.03	71732.82	211393.85
2024-25	129089.40	70410.60	199500.00
2025-26 (दिनांक 10.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार)	97768	50651.63	148419.63

*****